न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu223RTA087 Smt Chhotkanwar Vs State

श्रीमती छोटकंवर पत्नी सुखराम नाई
निवासी अखाधना, तहसील बाप
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

राजस्थान राज्य
जरिये तहसीलदार बाप,
जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर बाप, दिनांक 12 जून 2018 राजस्व वाद संख्या 33/2017 श्रीमती छोटकंवर बनाम सरकार

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 25 अक्तू., 2019

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2017 श्रीमती छोटकंवर बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12 जून 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 09 अगस्त 2019 को पेश की गयी है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। एक अन्य एक अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर अपील के साथ डिकी पर्चा की नकल पेश करने की अनिवार्यता में छूट प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनी-अपीलाण्ट ने राजस्व ग्राम अखाधना स्थित आराजी खसरा संख्या 366 रकबा 81 बीघा 01 बिस्वा में से 50 बीघा भूमि पर अपना पीढियाती कब्जा वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व से होना, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय काबिज-काश्त होने के कारण बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार अर्जित हो जाना तथा विकल्प में दीर्घकालीन कब्जा-काश्त के कारण एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाना जाहिर करते हुए उक्त भूमि बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक स्तर पर ही सिविल प्रकिया संहिता की धारा 151 का प्रयोग करते हुए जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 12 जून 2018 को खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट-वादिनी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अपीलाण्ट-वादिनी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नहीं होने का उल्लेख करते हुए वादिनी-अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में गम्भीर कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, क्योंकि वादिनी-अपीलाण्ट का दावा मात्र एडवर्स पजेशन पर ही आधारित नहीं था, एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होना मात्र वैकल्पिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आधार जाहिर किया गया था, वादिनी-अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त होने के आधार पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ अर्जित हो चुके थे, वर्तमान दावा मात्र उन अर्जित अधिकारों की घोषणा कराने बाबत ही पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिनी-अपीलाण्ट को अपना वाद साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था, न कि प्रतिपक्ष का जबाब लिये बिना, निर्धारित विधिक प्रकिया की पालना सुनिश्चित किये बिना और मामले में तनकियात कायम कर पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, अत्याधिक जल्दबाजी में सरसरी तौर पर, प्रकरण बिना कोई सूचना दिये "राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018" कोर्ट कैम्प में रखी जाकर धारा 151 सीपीसी की शक्तियों को प्रयोग कर दावा खारिज कर दिया गया। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि वादिनी-अपीलाण्ट एक ग्रामीण महिला है जिसे वाद पेश करने के बाद उसके अधिवक्ता ने बताया था कि प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है, बयानों की आवश्यकता होगी, तब मैं बुलवा लूंगा। काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद जब अधिवक्ता की तरफ से कोई संदेश नहीं आया, तो वादिनी-अपीलाण्ट ने स्वयं जाकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया, तब 23 जुलाई 2019 को अधिवक्ता ने बताया कि दावा कैम्प में खारिज हो गया, मैं जानकारी देना भूल गया, तब वादिनी-अपीलाण्ट ने नकल प्राप्ति की कार्यवाही की गयी और 24 जुलाई 2019 को नकलें प्राप्त होने पर विधिवत अपीलाधीन निर्णय बाबत जानकारी हुई, अतः प्रस्तुत अपील जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पेश करने से प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील मियादशुमार की जावे और गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान करावें।

जबाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपील मियाद बाहर होने के कारण इसी बिन्दु पर खारिज किये जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि मियाद-प्रार्थनापत्र में विलम्ब का कारण अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता की भूल बताई गयी है, मगर अधिवक्ता का कोई शपथपत्र मियाद प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रथमतः अपील मियाद-बाधित होने के आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है। उन्होंने आगे बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है जिसकी किस्म गैरमुमकिन मगरा है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धिक भूमि होने से इस पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। वादिनी मात्र अतिक्रमी की हैसियत रखती है और उसका वक्त सेटलमेण्ट से अनवरत कब्जा काश्त वादग्रस्त खसरा नम्बर पर नहीं रहा है।यदा-कदा ही अनाधिकृत कब्जा रहने से वादिनी खातेदारी घोषणा की अधिकारिणी नहीं ठहरती। न ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उसके पक्ष में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। इस आधार पर भी उसका दावा खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में **एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं होना मानते हुए वादिनी-अपीलाण्ट का दावा सिविल प्रकिया संहिता की धारा 151 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खारिज किया गया है।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सिविल प्रकिया संहिता की धारा 151 के प्रावधानों का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है, जहॉ अन्य किसी धारा के तहत कोई विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध नहीं हो। आलौच्य मामले में वादिनी-अपीलाण्ट ने वादग्रस्त आराजी बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया, इस चाहें गये अनुतोष बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 में प्रावधान दिये गये है। धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दावा निस्तारण की विधिक प्रकिया भी स्पष्ट की गयी है, जिसके अनुसार दावा संस्थित किये जाने के बाद प्रतिपक्ष को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया जाकर उसे जबाब/काउण्टर क्लेम पेश करने का अवसर प्रदान किया जाना और फिर दावे एवं जबाब/काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकियात कायम की जाकर और अपने-अपने हिस्से की तनकियात का सिद्ध करने हेतु संबंधित पक्षकार को साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया जाना विहित है। तत्पश्चात जिरह का अवसर प्रदान किया का अवसर प्रदान किया जाकर बहस सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य-सबूत के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण किया जाकर समग्र निर्णय पारित किया जाना निर्धारित किया हुआ है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार के संबंध में भी यदि कोई विवाद है तो इस बाबत भी प्राथमिक स्तर पर ही तनकी कायम की जाकर पक्षकारान की सुनवाई के बाद सर्वप्रथम ऐसी कानूनी तनकियात पर निष्कर्ष दिया जा सकता है। मगर विचारण न्यायाजय ने विहीत प्रकिया का पालन नहीं किया हैं जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिकी नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं होने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

परिणामस्वरूप अपील के साथ प्रस्तुत दोनों प्रार्थनापत्र (मियाद प्रार्थनापत्र तथा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थनापत्र) स्वीकार कर अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट गुणावगुण पर आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12 जून 2018 अपास्त किया जाता है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में विहित प्रकिया का पालन करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर यदि आवश्यक समझा जावे तो कानूनी तनकियात का पहले निस्तारण करते हुए **मूल वाद का तीन माह की अवधि में निस्तारण किया जावे।**

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 25/X/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर